न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

निगरानी संख्याः– 144/2019 धारा 73 (2) नगर पालिका अधि0 2009 (RCMS No.2019/00161

ऊंकारनाथ दत्तक पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी चेतराम कॉलौनी स्टेशन रोड हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी राजकुमार
2. रूपवती पत्नी विजय कुमार
3. नगर परिषद हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली जरिये आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन सिटी।

.....अप्रार्थी

टपील अंतर्गत धारा 73(2) राज0 नगर पालिका अधि0 2009 विरूद्ध आदेश अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौनसिटी द्वारा जारी पट्टा दिनांक 27.7.2013 बाबत प्लॉट संख्या 11 व 12 वहक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वाकै कस्बा हिण्डौनसिटी जिला करौली।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री रूपेन्द्रसिंह वकील रैस्पोडेन्ट।

नि र्ण य

दिनांक 27.02.2023

उक्त निगरानी अन्तर्गत धारा 73(2) नगर पालिका अधिनियम 2009 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौन सिटी के द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 व 2 मोहिनी देवी व रूपवती के हक में जारी पृथक पृथक पट्टा दिनांक 27.7.2013 के खिलाफ पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी संख्या –1 व 2 मोहिनी देवी व रूपवती द्वारा नगर पालिका हिण्डौनसिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 2065 में से प्लॉट संख्या 11 के रूप में 246.05 वर्ग गज एवं प्लॉट संख्या 12 के रूप में 241.27 वर्ग गज भूमि वाकै स्टेशन रोड निठार वालों के पैट्रोल पम्प के पास हिण्डौनसिटी नगर पालिका क्षेत्र का आवासीय नियमन/आवंटन कराने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ भूमि से संबधित, जमाबन्दी, की नकल, समझौता पत्र, इकरार नामा, क्षतिपूर्ति बंधपत्र इत्यादि पेश कर नियमानुसार आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टाविलेख जारी किये जाने का निवेदन किया गया। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौनसिटी द्वारा बाद कार्यवाही निगरानीधीन आदेश दिनांक 27.7.2013 से दो पृथक–पृथक पट्टे मोहिनी देवी को प्लाट संख्या 11 का व रूपवती को प्लॉट संख्या 12 का पट्टे जारी किये गये। उक्त दोनों पट्टों के खिलाफ यह निगरानी पेश की गई है। उक्त निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की गई। अप्रार्थीगण एवं तहत पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रूपेन्द्र सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निगरानीधीन निर्णय दिनांक 27.07.2013 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि निगरानीधीन आदेश के जरिये जारी पट्टे तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौनसिटी ने दिनांक 27.7.2013 को प्लॉट संख्या 11 व 12 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत जारी किये है। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौनसिटी के द्वारा खसरा नम्बर 2065 रकबा 0.29 ऐयर में विभिन्न लोगों को 12 पट्टे जारी किये गये, जिनमें पट्टे संख्या 11 व 12 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के भी शामिल थे। उक्त भूमिखण्ड में कुल भूमि का एक एयर में 1089 वर्गफुट भूमि के हिसाब से 31581 वर्ग फुट भूमि होती है, जबकि 12 पट्टे 35306 वर्ग फुट यानि 32.42 ऐयर के जारी कर गये है। उक्त भूमिखण्ड के सहारे प्रार्थी/निगरानीकार का खसरा नम्बर 2067 लगा हुआ है जो कि खसरा नम्बर 2065 से लगा हुआ है। सुयोग्य तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौन सिटी ने खसरा नम्बर 2065 की भूमि से ज्यादा निगरानीकार की भूमि खसरा नम्बर 2067 में बढाकर प्लाट संख्या 12 सम्पूर्ण एवं प्लाट संख्या 11 का आधा हिस्सा यानि कि 3725 वर्ग फुट के पट्टे जारी कर दिये है जो कि अवैधानिक है। ऐसा करने का कोई उन्हें कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त पट्टो के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त पट्टे अनाधिकृत एवं अवैधानिक एवं शून्य प्रभाव लिये होने के कारण निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 3 नगर पालिका हिण्डौनसिटी के द्वारा खसरा नम्बर 2065 की मानकर उक्त पट्टे गलत जारी किये है। इसके अलावा खसरा नम्बर 2065 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में कभी नहीं रहा है। खसरा नम्बर 2065 का साविक खसरा नम्बर 1179 है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति रामखिलाडी, जगमोहन पुत्रान चिरजी जाति चमार की खातेदारी का है। अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जाति मीना अनुसूचित जन जाति यानि कि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कानूनन जारी नहीं किये जा सकते है। उक्त पट्टों के बारे में प्रार्थी को सर्वप्रथम अप्रार्थी के परिवारी रेवतीप्रसाद मीना जो कि उनके ससुर है के द्वारा दिनांक 20.8.2014 को यह धमकी देने से हुई कि हमने तुम्हारे खसरा नम्बर 2067 सहित नगर पालिका हिण्डौन से पट्टे करा लिये है अब तुम्हारे हिस्से व तुम्हारे कब्जे व कब्जे की भूमि के पूर्व की तरफ छोडी खाली भूमि एवं पुख्ता दीवाल को तोडकर खसरा नम्बर 2067 में निर्माण करेगें। जिस पर प्रार्थी ने नगर परिषद में जांच कर व आवश्यक नकलें लेकर एक निगरानी अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में दिनांक 12.9.2014 को पेश की थी। इस निगरानी को अति0 जिला कलक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के आधार पर दिनांक 11.9.2019 को खारिज करते हुये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के आदेश दिये है। इसके पश्चात प्रार्थी ने निदेशक स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय में जाकर जांच की तो यह अवगत कराया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 73(2) के तहत सुनवाई का अधिकार माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को है इस पर प्रार्थी द्वारा बिना किसी

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

21.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

देरी के उक्त निगरानी पेश की गयी है। निगरानी पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। चूकि उपरोक्त विवादित पट्टे खसरा नम्बर 2065 का भाग मानते हुये गलत तरीके से खसरा नम्बर 2067 की भूमि को शामिल करते हुये किये है इसलिऐ क्षेत्रफल की सुविधानुसार पट्टों का सही आंकलन व निर्णय किये जाने हेतु दोनों प्लॉट संख्या 11 व 12 के धारकों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिऐ अपितु माननीय न्यायालय को इस संबध में सही निर्णय करने के लिये आवश्यक होने पर एक ही पिटीशन/अपील की गयी है। दोनों पट्टों की विषय वस्तु एक ही है । अतः दोनों पट्टें एक ही प्रकरण में देखे जाने योग्य है जिससे कि न्यायालय द्वारा दोनों के विपरीत निर्णय न हो जावे। अन्त में वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में जारी किये गये पट्टे दिनांक 27.7.2013 प्लॉट संख्या 11 व 12 हिण्डौनसिटी जिला करौली को निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौनसिटी द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 27.7.2013 वसिलसिले प्लॉट नम्बर 11 व 12 जो रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में जारी किये गये है की ताईद करते हुये कथन किया गया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही निगरानीधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों पर अपील पेश की गयी है जबकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजात की पूर्ण जांच के बाद ही रैस्पों0 के हक में पट्टे जारी किये गये हैं। प्रथम तो उक्त निगरानी मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थी द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में निगरानीधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.08.2014 को होना बताया है। जिसका अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अति0 जिला कलक्टर करौली द्वारा निगरानी क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज हुई हो तथा स्वायत्त शासन विभाग में जानकारी करने के बाद अन्दर मियाद निगरानी पेश की गयी हो। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी दिनांक 23.05.2013 को हो गयी थी जिस दिन उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ था। राजीनामा होने का उल्लेख अपीलान्ट की ओर से अति0 जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी की मद संख्या–4 में भी किया गया है। अप्रार्थी की ओर से अपने जबाब के समर्थन में काउन्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रार्थी की ओर से रिव्यूटल में कोई जबाब या शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी मियाद संबंधी बिन्दु पर ही निरस्तनीय है।

जहां तक निगरानीधीन पट्टों के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 मोहिनी देवी व रूपवती द्वारा नगर पालिका हिण्डौनसिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 2065 में से प्लॉट संख्या 11 के रूप में 246.05 वर्ग गज एवं प्लॉट संख्या 12 के रूप में 241.27 वर्ग गज भूमि वाकै स्टेशन

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रोड निठार वालों के पैट्रोल पम्प के पास हिण्डौनसिटी नगर पालिका क्षेत्र का आवासीय नियमन/आवंटन कराने हेतु निवेदन किया गया था। प्रार्थना पत्र के साथ भूमि से संबधित, जमाबन्दी, की नकल, समझौता पत्र, इकरार नामा, क्षतिपूर्ति बंधपत्र इत्यादि पेश किये गये थे। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हिण्डौनसिटी द्वारा बाद कार्यवाही निगरानीधीन आदेश दिनांक 27.7.2013 से दो पृथक–पृथक पट्टे मोहिनी देवी को प्लाट संख्या 11 का व रूपवती को प्लॉट संख्या 12 का पट्टे जारी किये गये जो विधि संगत है। प्रार्थी की ओर से दो पृथक पृथक पट्टों के विरूद्ध एक ही निगरानी पेश की गयी है जो कि पोषणीय नहीं है। वकील अप्रार्थी ने उक्त तर्क के समर्थन में 2016(1)डी.एन.जे.राज0 पेज नंबर 55, 2020(1)आर.आर. टी. पेज नंबर 198 व 401, 2020(2)आर.आर.टी.पेज नंबर 819 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। वकील अप्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से अदालत हाजा में निगरानी भी जानबूझ कर विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब से पेश करने का भी कोई पर्याप्त व उचित आधार नहीं बताया गया है। वकील अप्रार्थी का यह भी तर्क है कि उक्त सभी पट्टे नियमानुसार बाद जांच व न्यायिक प्रकियापूर्ति उपरान्त ही रिकार्ड एवं मौके के अनुकूल जारी किये गये तथा उक्त पट्टों का उपपंजीयक कार्यालय से पंजीयन भी हो चुका है। पंजीबद्ध दस्तावेज को केवल सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय पंजीबद्ध पट्टे के बारे में कोई मीमांसा नहीं कर सकती है। अतः इस आधार पर भी उक्त निगरानी निरस्तनीय है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2065 में अप्रार्थी के श्वसुर रेवती प्रसाद की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जो मुताबिक नक्शा अनुसार उसका क्षेत्रफल 12008 वर्गगज बनता है। जिसमें आवेदक का हिस्सा 8 ऐयर यानि 968 वर्गगज बनता है। प्रार्थी को पट्टों को अनऑथराईज्ड कहने के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है ना ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया गया है जिससे उसके निगरानी में अंकित तथ्यों की ताईद होती हो। निगरानी के समस्त कथन कतई गलत व बनावटी संभावित संभावनाओं के आधार पर दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 2067 रकबा 0.03 ऐयर सहखातेदारी की भूमि है कि जिसमें आवेदक का 1/10 हिस्सा यानि उसके हक में 36–1/2वर्गफुट भूमि आती है। प्रार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर वदयान्तिपूर्वक प्रतिपक्षीगण को तंग व परेशान कर अनुचित लाभ लेने की गरज से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह अपील पेश की है जो वास्तविक तथ्यों से बिल्कुल परे है इसलिऐ काबिले मंसूखी है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2067, 2068, 2071 स्थित कस्बा हिण्डौनसिटी में प्रार्थी का 1/10 वां हिस्सा है यानि 8 ऐयर भूमि आवेदक के हिस्से में आती है जिसका कुल क्षेत्रफल 968 वर्गगज बनता है इसी पर प्रार्थी काबिज है। खसरा नम्बर 2065 जिसमें से प्रतिपक्षीगण के हक में पट्टे जारी हुये है। यह भूमि अप्रार्थी के ससुर रेवती प्रसाद की न्यारानूर खातेदारी व कब्जे की भूमि है। जिसमें से नगर परिषद हिण्डौन सिटी के द्वारा प्रतिपक्षीगण के हक में विधि एवं नियमानुसार पट्टे जारी किये गये है। प्रार्थी व्यथित पक्षकार नहीं है ना विवादित भूमि से उनका कोई सरोकार है। इस बाबत अन्य सहखातेदारान को भी कोई आपत्ति नहीं रही है और ना ही वर्तमान में है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के ससुर रेवती प्रसाद के मध्य दिनांक 23.5.2013 को पट्टे जेर पीटीशन बाबत राजीनामा भी हुआ था जिसमें प्रार्थी ऊंकारनाथ ने नगर पालिका हिडौनसिटी में दिनांक 23.5.2013 को यह लिख कर दिया है कि हमारा राजीनामा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हो गया है। भूमि खसरा नम्बर 2065 व खसरा नम्बर 2067 के सीमाज्ञान का कोई विवाद नहीं रहा है। रेवती प्रसाद को भूमि खसरा नम्बर 2065 में पट्टे दे दिये जावे। इस बाबत प्रार्थी द्वारा पूर्व में एडीएम करौली के यहां प्रस्तुत निगरानी के मद नम्बर नं0 4 में भी उल्लेख किया गया है। सी.पी.सी. के आदेश 23 नियम 3 ए के अनुसार राजीनामा के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने अपनी हिस्से की भूमि का न तो कभी सीमाज्ञान कराया है और ना ही सीमाज्ञान की रिपोर्ट पत्रावली में है। प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं कराया है कि उसकी कितनी भूमि पट्टा रैस्पो0 के हक में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी हाजा में चाही गई सहायता के बाबत भी पूर्व में न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डौनसिटी में सिविल वाद संख्या 73/2014 उनवानी ऊंकारनाथ बनाम रेवती प्रसाद आदि संस्थित कराया है जो कि विचाराधीन है। इसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रकरण संख्या मु0नं0 65/2014 के रूप में दर्ज किया गया है। जिसे दिनांक 04.03.2016 को अपीलान्ट ऊंकारनाथ का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया गया है। नगर परिषद द्वारा सर्वेयर से सर्वे कराकर भूमि की नाप कराकर व मौका रिपोर्ट व नक्शा प्राप्त करने के बाद समस्त कार्यवाही पूर्ण कर पट्टे जारी किये गये है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2067, 2068, 2071 राजस्व रिकार्ड में नगर परिषद/नगर पालिका हिण्डौनसिटी के नाम दर्ज है जिसके बाबत पट्टा जारी करने का नगर परिषद हिण्डौनसिटी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अधिकार व औचित्य के कोई आपत्ति या कार्यवाही कराने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी स्वच्छ हस्त व स्वच्छ मन से न्यायालय हाजा में नही आया है। प्रार्थी के द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपा कर गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे। तथा नगर परिषद हिण्डौनसिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.7.2013 वसिलसिले पट्टा प्लाट संख्या 11 माहिनी दवी व प्लाट संख्या 12 रूपवती देवी यथावत रखे जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि नगरपालिका की ओर से जारी किये गये पट्टे प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में जारी किये गये हैं। अतः ऐसे पटटों का पंजीयन होने के आधार पर निगरानी नहीं हो सकती, गलत है। इसके अलावा एक ही भूमि में दो अलग–अलग पट्टे नगरपालिका की ओर से अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी किये गये हैं। वाद वस्तु समान होने के कारण अलग–अलग निगरानी प्रस्तुत नहीं कर एक निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नही है। जहां तक विवादित भूमि नगरपरिषद के नाम दर्ज होने का प्रश्न है तो उक्त भूमि 90 बी की कार्यवाही किये जाने से पूर्व प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज थी जिसकी जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गयी है। इसी प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा होने के आधार पर निगरानी पोषणीय नहीं होने का तर्क भी इसलिए मानने योग्य नही है क्योंकि उक्त राजीनामे से दोनों पट्टों का कोई संबंध नही है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टे दिनांक 20.07.2013 निरस्त किये जावे।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा निगरानीधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में नगरपालिका हिण्डौन सिटी की ओर से जारी पट्टे दिनांक 20.07.2013

27.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 4.12.2019 को निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर उक्त निगरानी मियाद बाहर होने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की ओर से निगरानी के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में निगरानीधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.08.2014 को अप्रार्थी के श्वसुर रेवती प्रसाद मीना के द्वारा धमकी दिये जाने से होने का उल्लेख करते हुए उक्त निर्णय के विरूद्ध अति0 जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने व उक्त निगरानी अति0 जिला कलक्टर करोली द्वारा निर्णय दिनांक 11.09.2019 को वार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने तथा स्वायत्त शासन विभाग से जानकारी प्राप्त करने के बाद अदालत हाजा में निर्णय की नकल मिलने से अन्दर मियाद प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण की ओर से जबाब व काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रार्थी को निगरानीधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.05.2013 से होने का उल्लेख किया गया है। तथा इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब के समर्थन में न तो प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 23.05.2013 को हुये राजीनामे की प्रति प्रस्तुत की है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित पट्टों के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हुआ हो। और न ही अप्रार्थी के श्वसुर श्री रेवती प्रसाद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे यह पुष्टि होती हो कि उनके द्वारा प्रार्थी को निगरानीधीन पट्टों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है। दूसरी ओर प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ अति0 जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है। जिसके अनुसार प्रार्थी की ओर से अति0 जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में दिनांक 15.09.2014 को नगरपालिका हिण्डौन सिटी की ओर से जारी किये गये पट्टे दिनांक 20.07.2013 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी थी। उक्त निगरानी को अति0 जिला कलक्टर करौली द्वारा श्रवणाधिकार के बिन्दु पर ही खारिज किया गया है व इसमें उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 327 में पट्टे की निगरानी का अधिकार स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी को है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को नहीं मानने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक निगरानीधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो नगरपालिका की निगरानीधीन पट्टों की मूलं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की ओर से भूमि के आवंटन/नियमतीकरण हेतु प्रार्थना पत्र नगरपालिका हिण्डौन सिटी के कार्यालय में दिनांक 30.01.2013 को प्रस्तुत किया गया जिसके साथ समस्त दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्रार्थना पत्र को नगरपालिका की ओर से दर्ज रजिस्टर किया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। आपत्ति नोटिस जारी किया गया। तथा विधि सलाहकार आदि से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विवादित भूमि का पट्टा जारी किये जाने का आदेश दिया गया है। एवं पट्टा जारी करने के बाद

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उप पंजीयक हिण्डौन सिटी को पत्र दिनांक 27.07.2013 के द्वारा जारी किये गये पट्टे का पंजीयन किये जाने हेतु लिखा गया है। इसके आधार पर अप्रार्थीगण के हक में जारी पट्टे का पंजीयन भी उप पंजीयक हिण्डोन द्वारा दिनांक 27.08.2013 को किया जा चुका है जिसकी पुष्टि निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पट्टे की प्रति से हो रही है। पंजीकृत हुए पट्टे को नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत रद्ध नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में 2018(2)डी.एन.जे.राज0 पेज 385 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। इसी प्रकार प्रार्थी की ओर से दो अलग–अलग पट्टों के विरूद्ध एक निगरानी पेश की गयी है। जबकि प्रत्येक पट्टे के लिये अलग–अलग निगरानी पेश किया जाना आवश्यक था। इस अभिमत की पुष्टि वकील अप्रार्थी की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.टी.2020(2) प्रष्ठ संख्या 819, आर.आर.टी.2020(1)पेज 401 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त से भी हो रही है। अतः उपरोक्त आधार पर भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध नगरपालिका हिण्डौन सिटी द्वारा जारी किये गये पट्टे संख्या 11 व 12 दिनांक 27.07.2013 खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर